भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3248

08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

निःशक्तजनों के लिए स्वास्थ्य बीमा

†3248. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

श्री पी. सी. मोहनः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में निःशक्तजनों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ देने के लिए कोई प्रावधान किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करने वाले निःशक्तजनों की संख्या विकलांगता/लिंग-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मानक निःशक्तजनों के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज सुनिश्चित करने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में वर्तमान में आयुष्मान भारत या अन्य सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए शारीरिक रूप से निःशक्तजनों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत निःशक्तजनों के लिए नामांकन प्रक्रिया और दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने के लिए कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का निःशक्तजनों की विशिष्ट चिकित्सा और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके लिए एक समर्पित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लाभार्थी आधार में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) में चिन्हित किए गए गरीब और कमज़ोर परिवार शामिल हैं। एसईसीसी -2011 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वंचना मानदंड शामिल हैं, जिनमें से एक

"दिव्यांगजन सदस्य और कोई अक्षम वयस्क सदस्य" है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों (पीडब्लयूडी) को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्यों को प्रदान किए गए लचीलेपन के आधार पर, एबी-पीएमजेएवाई के तहत समान सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल वाले लाभार्थियों को शामिल करने के लिए लाभार्थी आधार का विस्तार किया गया है। एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों को दिव्यांगता के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाता है, इसलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुपालन में दिव्यांगजनों के लिए एक विशिष्ट कवर प्रदान करने का आदेश दिया है। बीमा उत्पाद डिजाइन और मूल्य निर्धारण बीमाकर्ताओं की बोर्ड-अनुमोदित हामीदारी नीति पर आधारित है, जो उम्र, रुग्णता आंकड़ों, ब्याज दरों, उत्पाद सुविधाओं आदि जैसे मापदंडों के आधार पर मूल्य निर्धारित करने में बीमांकिक सिद्धांतों पर विचार करता है।

(ङ) और (च): एबी-पीएमजेएवाई सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आर्थिक रूप से कमजोर 40% आबादी के 12 करोड़ परिवारों को माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या वाले अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। योजना के तहत उपयोग किए गए डेटाबेस में चिह्नित किए पात्र परिवारों से संबंधित सभी दिव्यांगजन इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के पात्र हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, नामांकन मोबाइल फोन एप्लिकेशन (आयुष्मान ऐप) और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) के माध्यम से अथवा नजदीकी पैनलबद्ध अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर पर किया जा सकता है। उपर्युक्त एप्लिकेशन में स्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (14555) लाभार्थियों को उनके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

******